शराब घोटाला : खुली अफसरों की फाइल

22 की गिरफ्तारी की अटकलें तेज, भूपेश बघेल ईडी के निशाने पर

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर : छत्तीसगढ़ में हुए 3,200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच तेज होती दिख रही है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद अब ईडी ने 22 आबकारी अधिकारियों की फाइल खोल दी है। इन सभी अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है, जिससे उनकी गिरफ्तारी की संभावना प्रबल हो गई है। पूरे घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। बताया जा रहा है कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले की कड़ियां सीधे भूपेश बघेल तक पहुंच रही हैं।

सूत्रों का कहना है कि अब ईडी का अगला कदम पूर्व सीएम की गिरफ्तारी की ओर हो सकता है। पूर्व भूपेश बघेल ने इस कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ईडी की जांच पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली।

राज्य एजेंसी की कार्रवाई पर उठे सवाल : जहां एक ओर ईडी इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपितों को जेल भेज रही है, वहीं राज्य की जांच एजेंसियों पर दबाव के चलते धीमी कार्रवाई को

लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब तक न तो आबकारी विभाग के अफसरों पर कोई ठोस कार्रवाई हुई है और न ही महादेव एप सट्टेबाजी केस में शामिल पुलिस अधिकारियों पर। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राज्य की एजेंसियों पर ऊपरी दबाव के कारण कार्रवाई से परहेज किया जा रहा है। वहीं ईडी के कड़े तेवरों से यह साफ हो गया है कि अब कोई भी राजनीतिक संरक्षण या प्रशासनिक दबाव आरोपितों को नहीं बचा पाएगा।

कोयला घोटाले में भी नामजद हैं बड़े चेहरे : ईडी की जांच में सामने आया है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 570 करोड़ रुपये का कोयला घोटाला हुआ। यह पूरा घोटाला सिंडिकेट बनाकर किया गया था। इस मामले में कांग्रेस नेताओं, आइएएस अधिकारियों और व्यापारियों के नाम एफआइआर में दर्ज हैं। साथ ही राज्य आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) भी इस प्रकरण की जांच कर रही है।

महादेव सट्टा एप केस में सीबीआइ कसेगा शिकंजा : महादेव सट्टा एप घोटाले में सीबीआइ ने भूपेश बघेल सहित 21 लोगों पर भ्रष्टाचार, ठगी और गैम्बलिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। 18 दिसंबर 2024 को एफआइआर दर्ज हुई थी। इसमें पुलिस अफसरों, कारोबारियों और राजनेताओं को आरोपित बनाया गया हैं।

इन पर एफआइआर दर्ज : रवि उप्पल, रोहित गोलाटी, शुभम सोनी, विशाल आहूजा, चंद्रभूषण वर्मा, धीरज आहूजा, असिम दास, अनिल कुमार दम्मानी, सतीश चंद्राकर, भीम सिंह यादव, भूपेश बघेल, हरिशंकर टिबरेवाल, नितेश दीवान, सुरेंद्र बागड़ी, सौरभ चंद्राकर, सूरज चोखानी, अनिल अग्रवाल, अज्ञात ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अधिकारी, विकास छापरिया, अन्य अज्ञात।

आइपीएस अधिकारियों के यहां पड़े थे छापे : ईडी और अन्य जांच एजेंसियों ने जिन पुलिस अधिकारियों के ठिकानों पर छापे मारे हैं, उनमें आइपीएस आनंद छाबड़ा, अभिषेक पल्लव, आरिफ शेख, प्रशांत अग्रवाल समेत कई अधिकारियों के नाम शामिल हैं।